जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.12.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 द्वारा एक महिला को चूहा मारने की दवा खा लेने पर भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत जंगलउन बहुरहवा से कालर ने एक महिला द्वारा चूहा मारने की दवा खा लेने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर जहर खाने वाली महिला को ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 सुधीर तिवारी, म0आ0 नीतू गौंड, आ0चा0 सर्वेश कुमार मिश्रा ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 83 वाहनों से 96,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 83 वाहनों से 96,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा गाली धमकी देने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 452/2024 धारा 69, 352, 351(3) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मोहित चौधरी पुत्र रामानन्द चौधरी निवासी महोबरी थाना महुली जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 12.12.2024 को थाना महुली पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध शादी का झाँसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने तथा वादिनी द्वारा शादी की बात करने पर शादी के इन्कार करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 14.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, का0 विनित गिरी, का0 छोटेलाल ।